बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 158483 ग्रा॰वि॰-6(10)/बजट-05/2010 पटना, दिनांक- 2/8/13

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

सभी उप विकास आयुक्त

विषय: ग्रामीण विकास विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तरीय कार्यालयों के विद्युत प्रभार के भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

मुख्य सचिव के स्तर पर विद्युत वितरण कम्पनियों के बकाए विद्युत विपत्र की राशि के भुगतान संबंधी समीक्षात्मक बैठक में यह दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है कि विद्युत विपत्र का भुगतान सभी उपभोक्ताओं द्वारा ससमय सुनिश्चित किया जाए ।

2- यह भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि यदि कोई पदाधिकारी समय पर विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं करता है तो बिजली कम्पनियों द्वारा विद्युत विच्छेद कर दिया जाएगा जिसकी पूरी जिम्मेवारी भुगतान के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी की होगी । तदनुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्युत विपत्र के बकाए का समय समय पर प्राप्त होनेवाले विपत्रों का ससमय भुगतान सुनिश्चित हो ।

3- विभाग द्वारा समुचित आवंटन दिया जा चुका है जिससे विद्युत विपत्र का भुगतान सुनिश्चित किया जाए । यदि अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता हो तो अविलम्ब सूचित किया जाए ।

4- उप विकास आयुक्तों की जिम्मेवारी होगी कि वे अपने जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर विद्युत विपत्र का भुगतान सुनिश्चित करावें तथा इसकी मासिक तौर पर समीक्षा करें ।

विश्वासभाजन,

1.8.13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव ।